कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1052/सा0प्रशा0/अधि0/स0सु0/2020 दिनांकः 22 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उप धारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उप धारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं0–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बुलन्दशहर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

क0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (कि0मी0 प्रति घंटा)			
			टू व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4, 5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	अलीगढ़–बुलन्दशहर–सिकन्द्राबाद मार्ग (एन0एच0–91)	ग्राम दशहरा (अलीगढ बॉर्डर) से शामली (सिकन्द्राबाद तक)	50	80	80	60
2	बुलन्दशहर–मेरठ मार्ग (एन0एच0–235)	भूड़ चौराहा (बुलन्दशहर) से मौडी (हापुड़ बॉर्डर तक)	50	80	80	60
3	बुलन्दशहर–स्याना–गढ मार्ग (राज्यमार्ग)	बुलन्दशहर से स्याना से गढ चौपला तक	40	60	60	50
4	सिकन्द्राबाद–कुचेसर (राज्यमार्ग)	सिकन्द्राबाद से कुचेसर तक	40	60	60	50
5	खुर्जा–पहासू–छतारी (राज्यमार्ग)	खुर्जा से छतारी तक	40	60	60	50
6	बी0बी0नगर–स्याना–बुगरासी (मुख्य जनपद मार्ग)	बीबीनगर से बुगरासी	40	60	60	50
7	बुलन्दशहर–अनूपशहर (मुख्य जनपद मार्ग)	बुलन्दशहर से अनूपशहर	40	60	60	50

Scanned with CamScanner

8	खुर्जा–जेवर मार्ग (मुख्य जनपद मार्ग)	खुर्जा से जेवर	40	60	60	50
9	स्याना–ऊचांगाव–भड़काऊ–नरसैना नहर पटरी (अन्य जनपद मार्ग)	स्याना से नरसैना तक	40	50	50	40
10	बुलन्दशहर से सैदपुर (अन्य जनपद मार्ग)	बुलन्दशहर से सैदपुर तक	40	60	60	40
11	सिकन्द्राबाद से खुर्जा मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	सिकन्द्राबाद से खुर्जा तक	40	60	60	50
12	बुलन्दशहर से झाझर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	बुलन्दशहर से झाझर तक	40	60	60	40
13	स्याना से खानपुर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	स्याना से खानपुर तक	40	50	50	40
14	सिकन्द्राबाद से दनकौर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	सिकन्द्राबाद से दनकौर तक	40	60	60	40
15	सिकन्द्राबाद से बराल मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	सिकन्द्राबाद से बराल तक	40	60	60	40
16	दानपुर से धर्मपुर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	दानपुर से धर्मपुर तक	40	60	60	40
17	खुर्जा से झाझर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	खुर्जा से झाझर तक	40	60	60	40
18	अनूपशहर से शिकारपुर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	अनूपशहर से शिकारपुर तक	40	60	60	50
19	खुर्जा से शिकारपुर मार्ग (अन्य जनपद मार्ग)	खुर्जा से शिकारपुर तक	40	50	50	40

गति सम्बन्धित उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
(अ) अग्नि शमन वाहन।
(ब) एम्बुलेंस।
(स) पुलिस वाहन।
(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी

Scanned with CamScanner

अधिसूचना संख्या–1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

मौ0 कय्यूम,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

पृ0सं0: 1052/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
5. अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आई0टी0), लखनऊ।
6. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), मेरठ।
7. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण समाग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), गाजियाबाद।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बुलन्दशहर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड एवं निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ/मेरठ/गौतमबुद्धनगर।
12. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

Scanned with CamScanner